कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, छठा तल, जवाहर भवन, लखनऊ

संख्या–एम0ई0–3/2017/1307 लखनऊः दिनांक 04 सितम्बर 2017

रिट याचिका (सिविल) संख्या–515 आफ 2017 सरस्वती एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 01.9.2017 तथा रिट याचिका संख्या–20275(एम0बी0) आफ 2017 जी0सी0आर0जी0 मेमोरियल ट्रस्ट व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ बेंच, लखनऊ के आदेश दिनांक 01.9.2017 के संबंध में अति आवश्यक सूचना

रिट याचिका (सिविल) संख्या–515 आफ 2017 सरस्वती एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 01.9.2017 के अनुपालन में सरस्वती मेडिकल कालेज, उन्नाव की एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम की 150 सीटों पर शैक्षणिक सत्र 2017–18 हेतु ऑनलाईन काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेश की कार्यवाही सम्पन्न की जानी है।

इसी प्रकार रिट याचिका संख्या–20275(एम0बी0) आफ 2017 में पारित मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ बेंच, लखनऊ के आदेश दिनांक 01.9.2017 के अनुपालन में जी0सी0आर0जी0 इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ की एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम की 150 सीटों पर शैक्षणिक सत्र 2017–18 के लिए ऑनलाईन काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेश की कार्यवाही सम्पन्न की जानी है।

उपर्युक्त मेडिकल कालेजों में प्रवेश हेतु नीट यू0जी0–2017 क्वालीफाईड इच्छुक अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे दिनांक 04.9.2017 की सायं 6:00 बजे से दिनांक 05.9.2017 को अपरान्ह 1:00 बजे तक अपना ऑनलाइन पंजीकरण एन0आई0सी0 की वेबसाईट https://upneet.gov.in पर करा सकते हैं।

उक्त के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश निम्नलिखित हैंः–

1. ऑनलाइन पंजीकरण हेतु अभ्यर्थियों को रू0 1,000/– का शुल्क ऑनलाईन प्रकिया के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा।
2. नीट यू0जी0 2017 की प्रथम, द्वितीय एवं मॉपअप काउंसिलिंग के माध्यम से एम0बी0बी0एस0 में आवंटन प्राप्त (प्रवेशित/आवंटन के पश्चात प्रवेश न लेने वाले/त्यागपत्र दे चुके/आवंटन पत्र डाउनलोड कर चुके) अभ्यर्थी उक्त कालेजों में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे। किन्तु ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने प्रथम एवं द्वितीय काउंसिलिंग के माध्यम से निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों में बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया है, प्रवेश के लिए अर्ह होंगे। निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों में बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों द्वारा नियमानुसार त्यागपत्र देने के उपरान्त प्रवेश के समय उन्हे मूल अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. उपर्युक्त मेडिकल कालेजों में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी अपनी वरीयता ऑनलाइन पंजीकरण के समय ही इंगित करेंगे।
4. ऑनलाइन पंजीकरण के उपरान्त मेरिट के आधार पर आवंटन की कार्यवाही कर दी जाएगी।
5. विषयगत मेडिकल कालेजों में प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थियों को शासन द्वारा निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक 05.9.2017 को ही प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

महानिदेशक